फा.सं./ F. No. 18-06/2021-डीडी-III

भारत सरकार / Government of India

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

Ministry of Social Justice & Empowerment

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

पांचवा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन

5th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan,

सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली – 110003

दिनांक/ Dated: 24.03.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिनांक 13.03.2023 को अपराह्न 04:00 बजे आयोजित दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के शासी निकाय की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त को अग्रेषित करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी सह अध्यक्ष, शासी निकाय की अध्यक्षता में 13 मार्च, 2023 को अपराह्न 04:00 बजे आयोजित दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के शासी निकाय की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

संलग्नक: यथोपरि।

(निठाली राम / Nithali Ram)

उप सचिव, भारत सरकार / Deputy Secretary to the Govt of India

दूरभाष / Tel: 24369068

ईमेल/Email: nithali.ram@nic.in

1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास बोर्ड, ओल्ड राजिन्दर नगर, नई दिल्ली
2. श्री संजय पाण्डे, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. श्री विजय कुमार मीना, उप सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय
4. श्री दीप सी. लाकरा, अवर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय
5. श्री अजीत सिंह महावीर सिंह शेखावत, शेखावत डागरा और एसोसिएट्स, बी-320, स्वागत रेन फॉरेस्ट-II, कुडासन, गांधीनगर-382421, गुजरात।
6. डॉ. श्री गोविन्दराज, सं. 86, हार्वे पैड्डी, तिरूपरमकुंट्रम, मदुरै, तमिलनाडु-625005
7. श्री वैभव चौहान, मेमर्स केबीडीएस और कं. चार्टेड एकाउंटेंट।

प्रतिलिपि:

i. सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
ii. संयुक्त सचिव (आरवाई) के प्रधान निजी सचिव
iii. अवर सचिव (एएस) के निजी सहायक

13 मार्च, 2023 को अपराह्न 04:00 बजे विभाग के सम्मेलन कक्ष में सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सह अध्यक्ष, शासी निकाय की अध्यक्षता में आयोजित दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के तहत शासी निकाय की सातवीं बैठक का कार्यवृत्त

प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव-सह-शासी निकाय के अध्यक्ष, श्री राजेश अग्रवाल ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और श्री राजेश यादव, संयुक्त सचिव और सीईओ से शासी निकाय के विचारार्थ कार्यसूची बिंदुओं पर एक प्रस्तुति देने का अनुरोध किया। प्रस्तुति की प्रति **अनुबंध-II** में दी गई है।

3. शासी निकाय द्वारा लिए गए कार्यसूची-वार निर्णयों को संक्षेप में नीचे दिया गया है:-

3.1 निधि की वर्तमान स्थिति

- शासी निकाय ने निधि की वर्तमान स्थिति को नोट किया और राष्ट्रीय निधि (पुराने) के तहत एफडी को जल्द से जल्द नया राष्ट्रीय निधि में अधिमानतः मार्च, 2023 के अंत तक स्थानांतरित करने का सुझाव दिया।
- जीबी ने यह भी निदेश दिया कि पुराने राष्ट्रीय निधि और न्यास निधि के बचत बैंक खाते को बंद किया जाए और राशि को जल्द से जल्द मार्च, 2023 के अंत तक नए राष्ट्रीय निधि के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाए।

3.2 25.10.2021 को आयोजित शासी निकाय की 6 वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई इस प्रकार है-

क्र.सं.	कार्यसूची बिंदु	जीबी के निर्णय / अवलोकन
i.	दिल्ली, मुंबई/पुणे, बंगलौर/हैदराबाद, गुवाहाटी और ईटानगर में प्रत्येक पर 5 प्रदर्शनी-सह-विपणन बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए एनएचएफडीसी के प्रस्ताव को छोड़ा जाए।	बंद किया गया। तथापि, एनएचएफडीसी से विभिन्न राज्यों में सूरजकुंड मेले की तरह कार्यक्रमों के आयोजन/उसमें भाग लेने की संभावनाओं का पता लगाने का अनुरोध जाना है।
ii.	जीबी ने नोट किया कि मैसर्स सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च 25.10.2021 तक संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो गया।	रिपोर्ट स्वीकार की गई। मैसर्स सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च को 7,87,766/- रुपये का भुगतान अनुमोदित किया गया।

iii.	जीबी ने समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जिसमें प्रतिनियुक्ति आधार (एसओ/एएसओ) के माध्यम से और यूडीसी/एलडीसी/डीईओ के संबंध में जीईएम के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर राष्ट्रीय निधि के सचिवालय के लिए कर्मचारियों की भर्ती की विधि का सुझाव दिया गया था।	जीबी ने दो युवा पेशेवरों की नियुक्ति का सुझाव दिया।
iv.	जीबी ने आरसीआई द्वारा सुझाए गए मसौदा समझौता ज्ञापन पर विचार करने और संशोधनों, यदि कोई हो, के अनुमोदन के लिए अध्यक्ष-सह-सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी को अधिकृत किया था। इसके बाद, आरसीआई को दो किस्तों में जल्द से जल्द निधि जारी की जा सकती है जैसा कि 14.07.2021 को आयोजित जीबी की पिछली (5 वीं) बैठक में तय किया गया था।	दूसरे बैच की परीक्षा के बाद समझौता ज्ञापन को 30 दिनों तक बढ़ाने हेतु अनुमोदन। जेएस एंड एफए ने सुझाव दिया कि यदि सीबीआईडी का पाठ्यक्रम अच्छा है, तो राष्ट्रीय निधि अगले कुछ बैचों को भी प्रायोजित कर सकता है। आरसीआई ऐसा प्रस्ताव भेज सकता है।
v.	जीबी ने नोट किया कि जुलाई, 2019 में एनआईटी कुरुक्षेत्र में आयोजित राष्ट्रीय आईटी चैलेंज में भाग लेने के लिए 85 दिव्यांग छात्रों और 54 एस्कॉर्ट्स को निधि जारी किया गया। शेष 10 छात्रों/एस्कॉर्ट्स के संबंध में, अंतिम अनुस्मारक जारी किया जा सकता है जिसमें 15.11.2021 तक बैंक विवरण मांगा जा सकता है।	चूंकि शेष छात्रों से कोई शिकायत प्राप्त हुई, इसलिए मामला बंद कर दिया गया है।
vi.	दिसंबर, 2021 में दो किस्तों में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए राहत केंद्र, मणिपुर को 7,45,500 रुपये जारी किए गए। सीआरसी गुवाहाटी दूसरी किस्त जारी करने से पहले प्रदर्शनी पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।	इस बात पर ध्यान दिया गया कि राहत केंद्र को पूरा भुगतान जारी कर दिया गया है
vii.	जीबी ने नोट किया कि 22.10.2021 को 2020 में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए पिंगलाक्षी को 10 लाख रुपये की निधि जारी की गई है। यह भी कहा गया है कि नागदा जेनिथ, एमपी और एकीकृत, वाराणसी द्वारा प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए संशोधित कार्यक्रम की पुष्टिकरण मांगी गई	• ध्यान दिया कि पिंगलाक्षी और नागदा जेनिथ को पूरा भुगतान जारी किया गया है। • एकीकृत वाराणसी के प्रस्ताव को बंद किया जाना है।

	है।	
viii.	एनआईईपीएमडी, चेन्नई को मार्च, 2022 में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए दो किस्तों में 8,44,500 रुपये जारी करना	नोट किया कि एनआईईपीएमडी, चेन्नई के बिल प्राप्त हुए। यह फ़ाइल प्रक्रियाधीन है।
ix.	2022-23 के दौरान राष्ट्रीय स्तर की कला कार्यशाला आयोजित करने के लिए निमहांस, बैंगलोर को दो किस्तों में 12,11,530 रुपये जारी किए गए।	निमहांस को यथाशीघ्र रिपोर्ट और यूसी प्रस्तुत करने के लिए अनुस्मारक जारी किया जाए। यदि निमहांस 15 अप्रैल तक सभी कागजात प्रस्तुत नहीं करता है, तो उन्हें आगे कोई भुगतान जारी नहीं किया जाए और उन्हें इस उद्देश्य के लिए अपने स्वयं के धन खर्च करने के लिए कहा जाए।
x.	फरवरी, 2022 में सूरजकुंड शिल्प मेला, 2022 में भाग लेने के लिए एनएचएफडीसी को दो किस्तों में 20,00,000 रुपये जारी किए गए।	एनएचएफडीसी को यथाशीघ्र यूसी और बिल जमा करने के लिए अनुस्मारक जारी किया जाएगा। यदि एनएचएफडीसी 15 अप्रैल तक सभी कागजात प्रस्तुत नहीं करता है, तो उन्हें आगे से कोई और भुगतान जारी नहीं किया जाए और उन्हें इस प्रयोजन के लिए अपनी निधि खर्च करने के लिए कहा जाए। **यह भी निर्णय लिया गया कि जब भी किसी संगठन को कोई कार्यक्रम स्वीकृत किया जाता है, तो संगठन को कार्यक्रम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। देरी के मामले में, दूसरी किस्त मना की जाएगी, और संगठन को दो वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय निधि से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यक्रम के दौरान उस संगठन द्वारा वास्तविक रीयल-टाईम फोटो और वीडियो अपलोड किए गए हैं। मंत्रालय के समर्थन के बारे में कार्यक्रम की वेबसाइट, ब्रोशर, स्टैंडियों आदि में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए।**

3.3 कार्यसूची - 1 - मौजूदा योजना दिशानिर्देशों में प्रस्तावित संशोधन/सुधार।

क्र.सं.	घटक	संशोधन हेतु सुझाव
1.	दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए चित्रों, हस्तशिल्प आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनियां/कार्यशालाएं	**योग्यता –** • सोसायटी अधिनियम/कंपनी अधिनियम/न्यास अधिनियम/आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत 3 वर्ष से पंजीकृत कोई भी सरकारी संगठन और प्रस्तावित कार्यक्रम के आयोजन में 2 वर्ष का अनुभव रखता है। • संगठन को किसी अन्य स्रोत से उसी प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करनी चाहिए। आवेदन के साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। • इस श्रेणी के तहत सहायता प्राप्त करने वाले संगठन उसी वित्तीय वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। **नोट :** • प्रस्ताव केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने हैं। • प्रस्तुति, यदि आवश्यक हो, जीबी से पहले संगठन द्वारा दी जानी चाहिए। • संगठन को कार्यक्रम के समापन के 15 दिनों के भीतर अंतिम बिल, उपयोग प्रमाण पत्र आदि जमा करना होगा। शेष शर्तें वही रहेंगी।
2.	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए राज्य स्तर पर खेल/ललित कला/संगीत/नृत्य/फिल्म/रंगमंच/साहित्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों की सहायता करना।	**उद्देश्य –** • जिन्होंने संबंधित मान्यता प्राप्त निकायों/प्रमाणन संस्थानों से कला प्रदर्शन पर टॉप ग्रेड प्राप्त किया हो या पिछले 3 वर्षों के दौरान कम से कम एक बार राज्य स्तर पर खेल आयोजन में पहले तीन रैंकों में शामिल रहे हों। • 13-21 आयु समूह के बेंचमार्क दिव्यांग युवा (जो कॉलेज / विश्वविद्यालय नहीं जा रहे हैं) द्वारा राष्ट्रीय आईटी चैलेंज में भाग लेने के लिए जो ग्लोबल आईटी चैलेंज (जीआईटीसी) में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर का मुख्य प्रतियोगिता है। आयु समूह के युवाओं

		की पात्रता समय-समय पर जीआईटीसी के मानदंडों के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। **योग्यता –** • बेंचमार्क दिव्यांगता ग्रस्त कोई भी व्यक्ति (40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाला) जो पिछले 3 वर्षों के दौरान कम से कम एक बार राज्य स्तर के खेल आयोजन में पहले तीन रैंकों में से एक थे; या • पिछले तीन वर्षों के दौरान दिव्यांगता ग्रस्त किसी भी कलाकार को उत्कृष्ट या आशाजनक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। • दिव्यांगजनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी, जो शासी निकाय की समीक्षा के अधीन होगी। • आवेदक को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी अन्य स्रोत से उसी प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करनी चाहिए। आवेदन के साथ इस प्रभाव में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। • इसी तरह की गतिविधि के लिए इस निधि से सहायता एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार राष्ट्रीय आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए एक दिव्यांगजन को दी जाएगी। **नोट:** • जीबी ने नोट किया कि इस खंड के तहत इन गतिविधियों में भागीदारी के लिए कम संख्या के दिव्यांगजनों की वित्त पोषित किया गया है। इसलिए, मार्च 2024 तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों आयोजनों के लिए एक मानदंड के रूप में आय सीमा को हटाने का निर्णय ऐसे आयोजनों में अधिक दिव्यांगजनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रयोग के रूप में लिया गया था। जीबी बाद की बैठकों में मार्च 2024 से आगे उक्त छूट के विस्तार की समीक्षा करेगा। • आवेदक को कार्यक्रम के समापन के 15 दिनों के

		भीतर बिल, टिकट, बोर्डिंग पास, वीजा शुल्क की रसीद, भागीदारी का प्रमाण और कार्यक्रम की पंजीकरण शुल्क रसीद आदि जमा करनी होगी।
3.	उच्च सहायता आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों की कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना जैसा कि मामला वार आधार पर राज्यों द्वारा विशिष्ट सिफारिश पर बोर्डों की सिफारिश करता है।	**उद्देश्य –** राज्य मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिश के अनुसार उच्च सहायता की आवश्यकता वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों की कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। **योग्यता –** • राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गठित मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिश के अनुसार उच्च सहायता की आवश्यकता वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों, जिन्होंने राज्यों से संपर्क किया है और राज्य अपनी निधि से ऐसी सहायता प्रदान नहीं कर सके हैं और उन्होंने इस निधि के अंतर्गत विचार करने की सिफारिश की है। • दिव्यांगजन की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए या जैसा कि शासी निकाय द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। • आवेदक को किसी अन्य स्रोत से उसी प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करनी चाहिए। आवेदन के साथ इस प्रभाव में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। **वित्तीय सहायता की सीमा –** वित्तीय सहायता दैनिक जीवन की गतिविधि में सुधार के लिए अनुकूलित गतिशीलता उपकरण की वास्तविक लागत या 1 लाख रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित है। एलिम्को (डीईपीडब्ल्यूडी के तहत एक सीपीएसई) के पास उपलब्ध सहायक यंत्र/सहायक उपकरण को किसी अन्य स्रोत से खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी। **नोट:** यदि जीबी एलिम्को के अलावा किसी अन्य स्रोत से सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की खरीद की अनुमति देता है, तो आवेदक उपकरण की खरीद के 15 दिनों के भीतर अंतिम बिल, उपयोग प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करेगा।

4.	अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलनों/संगोष्ठियों/सिम्पोसिया/कार्यशालाओं में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए शैक्षिक और तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता।	**उद्देश्य–** अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलनों/संगोष्ठियों/ सिम्पोसिया/कार्यशालाओं में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान करना। **योग्यता –** (क) शिक्षा मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/मानद विश्वविद्यालयों/कॉलेजों द्वारा यथा परिभाषित राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों/संस्थानों में सेवारत संकाय जिनके पास पी.एच.डी डिग्री है या अनुसंधान में पी.एच.डी उन्नत चरण में है, आवेदन करने के लिए पात्र हैं। (ख) पर्याप्त शोध अनुभव और प्रदर्शन योग्य प्रकाशन रिकॉर्ड वाले स्वतंत्र विद्वान भी आवेदन कर सकते हैं। (ग) आवेदक के पास एकल या प्रमुख लेखक के रूप में प्रस्तुति के लिए एक स्वीकृत पेपर होना चाहिए। (ग) आवेदक को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी अन्य स्रोत से उसी प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करनी चाहिए। आवेदन के साथ इस प्रभाव में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। **वित्तीय सहायता की सीमा -** प्रतिभागी और एक एस्कॉर्ट (जहां भी लागू हो) को कार्यक्रम की पूरी अवधि के लिए इकोनॉमिक हवाई किराया (सबसे छोटा मार्ग) और 4000 रुपये प्रति दिन। **नोट:** • यदि शासी निकाय द्वारा अपेक्षित हो तो आवेदक शासी निकाय के समक्ष प्रस्ताव पर एक प्रस्तुति देगा। • इस श्रेणी के तहत एक बार वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले आवेदक फिर से आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। • आवेदक को कार्यक्रम के समापन के 15 दिनों के भीतर बिल, टिकट, बोर्डिंग पास, वीजा शुल्क की

		रसीद, भागीदारी का प्रमाण और कार्यक्रम की पंजीकरण शुल्क रसीद आदि जमा करना होगा।
5.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सिफारिशों के आधार पर खेल, साहित्य, कौशल और आईटी राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संस्थानों/संगठनों को वित्तीय सहायता।	जीबी ने इस स्तर पर प्रस्तावित घटक पर विचार नहीं करने का फैसला किया है।
6.	राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता।	**उद्देश्य–** पर्पल फेस्ट की तर्ज पर दिव्यांगजनों के संबंध में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। **योग्यता –** इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाएंगी। **वित्तीय सहायता की सीमा-** राष्ट्रीय स्तर – 3 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन कुल व्यय का 50% अंतर्राष्ट्रीय स्तर – 5 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन कुल व्यय का 50% **नोट:** • पात्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऑनलाइन या ऑफ़लाइन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। • यदि एक से अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस कार्यक्रम का आयोजन करने का प्रस्ताव करते हैं तो व्यापक पहुंच वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वरीयता दी जा सकती है। • यदि जीबी द्वारा अपेक्षित है तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जीबी के समक्ष प्रस्ताव पर एक प्रस्तुति देंगे। • राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कार्यक्रम की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर अंतिम बिल, उपयोग प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे।
7.	जांच समिति	निधियन की प्रक्रिया में देरी को ध्यान में रखते हुए,

		जीबी ने निम्नलिखित निर्णय लिया: i. जेएस एंड सीईओ के तहत जांच समिति को तत्काल प्रभाव से निपटाया जाता है। ii. प्रस्तावों पर जीबी द्वारा त्रैमासिक रूप से आयोजित होने वाली उनकी बैठकों में विचार किया जाएगा। प्रशासनिक आपात स्थिति में, बैठक शीघ्र ही निर्धारित की जाएगी। iii. संगठन/व्यक्ति, यदि आवश्यक हो, तो शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुति देगा। iv. प्रस्तावों पर शासी निकाय के अनुमोदन के बाद, संयुक्त सचिव और सीईओ, राष्ट्रीय निधि को यूसी के लिए मंजूरी देने, दूसरी किस्त जारी करने आदि के लिए मंजूरी दी जाती है।

3.4 कार्यसूची-2 - नए प्रस्ताव

दो नए प्रस्तावों के संबंध में जीबी के निर्णय निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	कार्यसूची	जीबी के निर्णय/अवलोकन
1.	गोपाल दत्त शिक्षण समिति – राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए	सहमत नहीं।
2.	श्री नीरज अग्रवाल - जेजू, कोरिया में 19वीं विश्व कांग्रेस में भाग लेना।	जीबी का विचार था कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में केवल उम्मीदवारों की भागीदारी के वित्तपोषण पर सहमति नहीं हो सकती है। इसलिए, प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी गई थी।

3.5 कार्यसूची-3 - शासी निकाय का पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन

(I) स्क्रीनिंग समिति द्वारा सिफारिश और सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी-सह-चेयरपर्सन, जीबी द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित वित्तीय प्रस्ताव

क्र.सं.	संगठन का नाम/व्यक्ति	अनुमोदित राशि (रुपये में)	स्थिति	जीबी का निर्णय

क.	प्रदर्शनी			
1.	ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली - 'बौद्धिक और विकासात्मक वाले व्यक्तियों की प्रतिभा और दायरे' पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी 04.03.2023 को आयोजित की गई	20,00,000/	10,00,000/ रुपये की पहली किस्त 08.02.2023 को जारी की गई। दूसरी किस्त के लिए रिपोर्ट और यूसी प्रतीक्षित है।	अनुमोदित
2.	एनआईईपीएमडी, चेन्नई – 28.02.2023 को आयोजित 1 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प और चित्रकला प्रदर्शनी	14,00,000/	7,00,000 रुपये की पहली किस्त 16.01.2023 को जारी की गई। दूसरी किस्त के लिए रिपोर्ट और यूसी प्रतीक्षित है।	अनुमोदित
3.	नेशनल हैंडिकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कार्पोरेशन (एनएचएफडीसी)– 03.02.2023 से 19.02.2023 तक के दौरान आयोजित सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 के दौरान आयोजित	20,00,000/	10,00,000 रुपये की पहली किस्त 16.01.2023 को जारी की गई । दूसरी किस्त के लिए रिपोर्ट और यूसी प्रतीक्षित है।	अनुमोदित। एनएचएफडीसी तत्काल यूसी प्रस्तुत करेगा।
4.	डेफ लीडर्स फाउंडेशन। कोयम्बटूर – 27 से 29 जनवरी, 2023 के दौरान 7 वीं भारतीय बधिर (पीडब्ल्यूडी) प्रदर्शनी और महोत्सव, 2023 पर राज्य स्तरीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी	10,00,000/	5,00,000 रुपये की पहली किस्त 02.01.2023 को जारी की गई । बिल/वाउचर 24.02.2023 को प्राप्त हुए और एनआईईपीएमडी, चेन्नई से निरीक्षण रिपोर्ट 09.03.2023 प्राप्त हुई।	अनुमोदित
5.	आदर्श रीहैबिलिटेशन सेंटर फॉर मेंटली एंड फिजिकली हैंडिकैप्ड चिल्ड्रन (एआरसीएनपीएचसी),	10,00,000/	5,00,000 रुपये की पहली किस्त 01.02.2023 को जारी की गई ।	अनुमोदित। नोट: अंतिम किस्त की राशि

	भिवानी, हरियाणा – राज्य स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी – 18-19 मार्च 2023			जारी करने से पहले एजीपी डिवीजन से संपर्क करें।
6.	असम सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट गुवाहाटी, असम – राज्य स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी – 1-2 फरवरी, 2023	10,00,000/	5,00,000 रुपये की पहली किस्त 16.01.2023 को जारी की गई और सीआरसी गुवाहाटी ने 22.02.2023 को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। असम केंद्र को 20.02.2023 को बिल जमा करने की सलाह दी गई। उत्तर प्रतीक्षित है।	अनुमोदित नोट: अंतिम किस्त की राशि जारी करने से पहले एजीपी डिवीजन से संपर्क करें।
ख.	**अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेना**			
I	एबिलिम्पिक्स कार्यक्रम: 23 से 26 मार्च, 2023 तक एनएएआई और सार्थक के माध्यम से 4 एस्कॉर्ट्स के साथ 12 दिव्यांगजन। एक पीडब्ल्यूडी के लिए - आने-जाने के लिए हवाई टिकट के लिए 75,000 रुपये, डीए के लिए 20,000 रुपये पांच दिनों के लिए 4000 रुपये की दर से, वीजा शुल्क 10,000 रुपये और पंजीकरण शुल्क 25,000 रुपये = 1,30,000 एक एस्कॉर्ट के लिए - आने-जाने के हवाई टिकट के लिए 75,000 रुपये, डीए के लिए 20,000 रुपये पांच दिनों के लिए 4000 रुपये की दर से, वीजा शुल्क 10,000 रुपये = 1,05,000	19,80,000/ 12 दिव्यांगजन 1,30,000 × 12 = 15,60,000 4 एस्कॉर्ट 1,05,000 × 4 = 4,20,000/-	12.01.2023 को 14,00,000/- रुपये पहली किस्त के रूप में 4 एस्कॉर्ट्स के साथ 11 दिव्यांगजनों को जारी किए गए। (1 पीडब्ल्यूडी ने प्रस्ताव वापस ले लिया) शेष राशि दस्तावेज प्राप्त होने पर जारी की जाएगी।	अनुमोदित

ग.	उच्च सहायता की आवश्यकता के लिए मदद			
I.	श्री वैभव भंडारी – ऑटोमेटिक ह्वीलचेयर	72,000/-		एलिम्को द्वारा बनाए गए सहायक उपकरणों को बाहर से खरीदने के लिए वित्त पोषित नहीं किया जाना चाहिए। अनुमोदन नहीं।

(2) नई सीए फर्म की नियुक्ति

- जीबी ने मार्च, 2023 तक 95,800 रुपये + करों की दर से नई सीए फर्म – मेसर्स केबीडीएस एंड कंपनी की नियुक्ति को मंजूरी दी।
- जीबी ने सीए फर्म के अनुबंध को मार्च, 2024 तक समान दरों पर नवीनीकृत करने का सुझाव दिया। सीए फर्म 20 मार्च 2023 तक इसकी पुष्टि करेगी।

(3) पुराने और नए निधि के संकल्प पर हस्ताक्षर

जीबी ने पुराने राष्ट्रीय निधि, न्यास निधि और नए राष्ट्रीय निधि के संकल्प पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी।

(4) दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए न्यास निधि के संबंध में आयकर चालान

- जीबी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के संबंध में 3,34,650 रुपये और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए न्यास निधि के संबंध में 3,35,22,360 रुपये के दो चालान आयकर विभाग को 23.11.2022 को जमा किए गए हैं।
- तथापि, मैसर्स केबीडीएस एंड कंपनी उचित कदम उठा सकती है और विभाग को भविष्य में चालान बचाने की सलाह दे सकती है।

- मैसर्स केबीडीएस एंड कंपनी को आगामी वर्ष के लिए आय, व्यय, संपत्ति एवं देयता और बजट सहित विवरण प्रस्तुत करना होगा।

3.6 कार्यसूची - सं.4 – शक्तियों का प्रत्यायोजन

(i) एफडी में निधियों का पुनर्निवेश

- बैंकों में निधियों के पुनर्निवेश के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए एक निवेश समिति ताकि उच्चतर प्रतिशत प्राप्त किया जा सके

- समिति की संरचना इस प्रकार होगी-:

जेएस और सीईओ, राष्ट्रीय निधि	– अध्यक्ष
निदेशक/उप सचिव, राष्ट्रीय निधि	– सदस्य
निदेशक/उप सचिव(आईएफडी)	- सदस्य

- निवेश समिति शासी निकाय की जानकारी के लिए निवेश के संबंध में लिए गए निर्णयों को प्रस्तुत करेगी।
- जीबी राष्ट्रीय निधि दिशानिर्देशों में शामिल घटकों के वित्तपोषण के प्रस्तावों को मंजूरी देगा। इसके बाद, जेएस एंड सीईओ राष्ट्रीय निधि यूसी को मंजूरी देने, भुगतान जारी करने आदि के लिए सक्षम प्राधिकरण होगा।

3.7 कार्यसूची-सं. 5 – अन्य सिफारिशें

- राष्ट्रीय निधि के तहत वित्त पोषण के प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए एक लिंक बनाया जाएगा और उक्त ऑनलाइन लिंक / पोर्टल के शुभारंभ के समय प्रेस नोट जारी किया जाएगा।

- आवेदक संगठन/व्यक्ति द्वारा बिल, उपयोग प्रमाण पत्र आदि कार्यक्रम के समापन / उपकरण की खरीद के 15 दिनों के भीतर, जहां भी लागू हो, प्रस्तुत किए जाने हैं।

- **दिव्यांग बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के लिए समावेशी/विशेष स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित करने के प्रस्तावों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।**

****

अनुबंध-I

प्रतिभागियों की सूची

क शासी निकाय के सदस्य

1.	श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी	अध्यक्ष
2.	श्री राजेश यादव, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी	संयोजक और सीईओ
3.	श्री संजय पाण्डे, संयुक्त सचिव और एफए, डीईपीडब्ल्यूडी	सदस्य
4.	श्री के.आर. वैधीश्वरन, संयुक्त सचिव और सीईओ राष्ट्रीय न्यास	सदस्य
5.	श्री विजय कुमार मीना, उप सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
6.	श्री दीप सी. लाकरा, अवर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य
7.	श्री अजीत सिंह शेखावत, गुजरात	सदस्य

ख विभाग के अधिकारी/अन्य

8. श्री अमित श्रीवास्तव, अवर सचिव
9. सुश्री पूजा मलिक, सहायक, राष्ट्रीय निधि
10. श्री गुलशन वर्मा, सहायक, राष्ट्रीय निधि
11. श्री वैभव चौहान, मेसर्स केबीडीएस एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स